

आदेश

श्री भूपिन्द्र सिंह, पुत्र श्री रिच्छपाल सिंह, पंच, वार्ड नं० 05, ग्राम पंचायत जुलमत, खण्ड पिहोवा, जिला कुरुक्षेत्र द्वारा पंच पद से दिया गया त्याग पत्र दिनांक 03.03.2025 जो उपायुक्त, कुरुक्षेत्र के सिफारिश पत्र क्रमांक 2764/पंचायत दिनांक 04.04.2025 द्वारा प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
16.04.2025

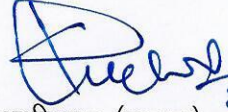
दुष्मंता कुमार बैहेरा, आई०ए०एस०
महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ई०सी०ए००५-2025/ 19473-79 दिनांक : 25/4/25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला।
2. उपायुक्त, कुरुक्षेत्र को उनके सिफारिश पत्र क्रमांक 2764/पंचायत दिनांक 04.04.2025, के संदर्भ में।
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कुरुक्षेत्र।
4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पिहोवा (जिला कुरुक्षेत्र)।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत जुलमत, खण्ड पिहोवा जिला कुरुक्षेत्र।
6. श्री भूपिन्द्र सिंह, पुत्र श्री रिच्छपाल सिंह, निवासी गांव जुलमत, खण्ड पिहोवा, जिला कुरुक्षेत्र।
7. आई०टी० सैल, मुख्यालय।

Mdit


अधीक्षक (चुनाव) 25/04/2025

कृते: निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।